सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या – 594 राँची, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

17 अक्टूबर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-583/2014 का०- 6492--श्री रघुनन्दन दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-484/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंडरो, साहेबगंज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने, अनधिकृत अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता, जिला समन्वयक समिति की बैठक में भाग नहीं लेने, मानसिक रूप से अस्वस्थता, निर्थक बातें करने, ऐलकोहल का सेवन करने, छदम्नामी व्यक्तियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव का संदर्भ देकर दूरभाष पर धमकी दिलाने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-168, दिनांक 30.11.2004 द्वारा श्री दास को निलंबित किया गया तथा संकल्प सं०-189, दिनांक 01.12.2004 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संकल्प सं०-6073, दिनांक 11.11.2006 द्वारा श्री दास को निलंबन से मुक्त करते हुए निन्दन की सजा अधिरोपित की गई। तत्पश्चात् श्री दास से प्राप्त आवेदन के आलोक में विभागीय आदेश सं०-2889, दिनांक 04.05.2009 द्वारा श्री दास के निलंबन अवधि दिनांक 30.11.2004 से 11.11.2006 तक को इस शर्त के साथ विनियमित किया गया कि इनके निलंबन अवधि में दिये गये जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगी, परन्तु निलंबन अवधि की पेंशन की गणना हेतु कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

3. उक्त के विरूद्ध श्री दास द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 2637/2010 Raghu Nandan Das Vrs. The state of Jharkhand and Ors. दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को पारित न्यायादेश में विभागीय आदेश सं०-2889, दिनांक 04.05.2009 को निरस्त करते हुए Respondent Authority (प्रतिवादी प्राधिकार) को यह निदेश दिया गया है कि निलंबन अवधि के वेतन के संबंध में कारण पृच्छा प्राप्त कर चार महीना के अंदर आदेश पारित करें। उक्त आदेश में यह भी अंकित है कि निर्धारित अवधि के अंदर आदेश पारित नहीं होने पर वादी निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन पाने का हकदार होगा और ऐसा समझा जायेगा कि इस संदर्भ में प्रतिवादी को कुछ नहीं कहना है। उक्त न्यायादेशानुसार वादी आदेश पारित होने के दो माह के अंदर ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० एवं प्रोन्नति हेतु विभाग में आवेदन समर्पित कर सकते हैं। विभाग इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन की तिथि से चार माह के अंदर Reasoned order (तार्किक आदेश) निर्गत करेगें ।

4. उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन न होने पर श्री दास द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. (C) No. 239./2022 दायर किया गया है ।

5. समीक्षोपरांत, माननीय न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 2637/2010 Raghu Nandan Das Vrs. The State of Jharkhand and Ors. में दिनांक-18.08.2021 को पारित आदेश एवं माननीय न्यायालय में दायर अवमाननावाद Cont. (C) No. 239/2022 के आलोक में श्री रघुनन्दन दास (सेवानिवृत्त), झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मंडरो, साहेबगंज के निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित निर्गत विभागीय आदेश सं०-2889, दिनांक-04.05.2009 को निरस्त करते हुए इनके निलबंन अवधि दिनांक 30.11.2004 से 11.11.2006 तक को पूर्ण वेतन भुगतान के साथ विनियमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 594 – 50